

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक:-प.2(241)/डीओआईटीएण्डसी/पार्ट-2/2022/06780/2022

जयपुर, दिनांक: 23.12.2022

आदेश

राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 और स्पष्टीकरण क्रमांक प.14(88)वित्त(नियम)2008 दिनांक 12.01.2018 एवं प.15(88)FD/ Rules /2017 दिनांक 27.02.2022 तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक F. 15(1)FD/Rules/2017 दिनांक 30.05.2022 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को सूचना सहायक के पद पर 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 06 में उल्लेखित दिनांक से सूचना सहायक के पद की प्रथम आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल-10 में स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	मेरिट न.	सूचना सहायक का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	वर्तमान पदस्थापित विभाग/कार्यालय	सूचना सहायक के पद पर प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	प्रथम ए.सी.पी. देय दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	1869	अपेक्षा शर्मा	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर	19.09.2013	19.09.2022	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर
2	2771	एकता राव	जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा	23.09.2013 मध्यान्ह पश्चात्	24.09.2022	
3	3824	आद राम	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर	13.11.2013	13.11.2022	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर
4	3849	अरुण कुमार भास्कर	खनिज अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, धौलपुर	24.09.2013	24.09.2022	
5	4119	अनिता गहलोत	प्रधानाचार्य, सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर	25.09.2013	25.09.2022	
6	2837	अनु इन्दोरिया	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर, सीकर	27.09.2013	27.09.2022	

* उपर्युक्त क्र.सं. 01 एवं 03 पर अंकित सूचना सहायकों के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त सभी सूचना सहायकों का वेतन निर्धारण सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 (2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हे:-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में प्रथम आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।

CONTD...

4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 07 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।
6. इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

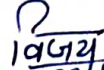


(सुनील छाबडा)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. सम्बंधित सूचना सहायक।
5. सम्बंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी